न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 215 / 2020

दिनांक–29.10.2020

शिवपाल सिंह पुत्र डूंगाराम जाति जाट निवासी ढाका का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
तहसील नवलगढ

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जागिड़
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती
बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए.

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 26.11.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम ढाका का बास पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ में आराजी खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमशः 1.49, 0.07, 0.04,1.21, 1.17 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 3.98 हैक्टर स्थित है उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजी में वादी का हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार को कोई विवाद नही है। वादी का सही व वास्तविक नाम शिवपाल सिंह पुत्र डूंगाराम है जो वादी के शिक्षा सम्बन्धित दस्तावेज पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होन पर विरासत का नामान्तरकरण वादी एवं वादी के भाई महावीर के नाम से भरा गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्व वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम श्योपाल पुत्र डूंगाराम गलत दर्ज कर दिया। स्व0 डूंगाराम के 2 पुत्र वादी व महावीर ही हुये। स्व0 डूंगाराम के श्योपाल नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है। श्योपाल व शिवपाल सिंह दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है।

राजस्व अभिलेख मे वादी का गलत नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण दर्ज हुआ है। राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम श्योपाल दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वाराजारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इसलिए श्योपाल पुत्र डूंगाराम के स्थान पर वादी शिवपाल सिंह पुत्र डूंगाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। वादी को उक्त गलत अभिलेख की जानकारी पूर्व में नही थी वादी ने हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से उक्त वाद पेश किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम ढाका का बास पटवार हल्का निवाई की सरहद में आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

नम्बर 42, 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमशः 1.49, 0.07, 0.04,1.21, 1.17 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 3.98 हैक्टर में श्योपाल पुत्र डूंगाराम के स्थान पर वादी शिवपाल सिंह पुत्र डूंगाराम को खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे तथा अन्य कोई सिद्धि चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष में पडती है वह भी दिलाई जावे।

प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होन पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा अपने पत्रांक/भू.अ./2020/1615 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमशः 1.49, 0.07, 0.04,1.21, 1.17 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 3.98 हैक्टर की खातेदारी महावीर पुत्र डूंगाराम हिस्सा 1/3, श्योपाल पुत्र डूंगाराम हिस्सा 1/3 जयकोर पत्नी स्व. बेगराज, अनिता कुमारी पुत्री बेगराज, बलौदा विकास बेगराज पुत्र बेजराज हि.बं. 1/3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करने पर पाया कि श्योपाल तथा शिवपाल सिंह दोनो एक ही नाम व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा मौके पर प्रस्तुत दस्तावेजी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थी का नाम शिवपाल सिंह दर्ज है। मौके पर उपस्थित काश्तकारो व सहखातेदारो ने बताया कि श्योपाल व शिवपाल सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व गवाहो के आधार पर प्रार्थी का नाम श्योपाल के स्थान पर शिवपाल सिंह शुद्ध किया जाना उचित है।

अतः राज पैरोकार तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रार्थीगणो के नाम दुरूस्ती की अभिशंषा भी की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड शिक्षा के दस्तावेजात मे भी प्रार्थी का नाम शिवपाल सिंह दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व सलग्न दस्तावेज अनुसार प्रार्थी की प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम ढाका का बास पटवार हल्का निवाई स्थित खसरा नम्बर 42, 43, 44, 45, 48 रकबा क्रमशः 1.49, 0.07, 0.04,1.21, 1.17 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 3.98 हैक्टर मे प्रार्थी श्योपाल पुत्र डूंगाराम के स्थान पर शिवपाल सिंह पुत्र डूंगाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनाक 26.11.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/11/20

उपखण्ड अधिकारी
(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner